

फ्रांसीसी और अमेरिकी पंच निरपेक्षता राज्य का मॉडल

- फ्रांस के पंच निरपेक्षता राज्य में राज्य एवं पंच के बीच एकतरफा अलगाव विद्यमान होता है जिसके अन्तर्गत राज्य के द्वारा पंच के मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है लेकिन पंच के द्वारा राज्य के किसी भी विधि, नीति में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
- फ्रांस में राज्य के द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक प्रतीकों के पहनावे पर प्रतिबंध तथा सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के को भी प्रतिबंधित किया गया है।

अमेरिकी पंच निरपेक्षता :

अमेरिका में राज्य और पंच के बीच दो-तरफा अलगाव पाया जाता है क्योंकि राज्य के द्वारा पंच की गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और न ही पंच के द्वारा राज्य के किसी कार्य में दखल दिया जाएगा।

- फ्रांस और अमेरिका के पंचनिरपेक्ष राज्य में केवल पंच और राज्य के बीच अलगाव की बात की गई है जबकि भारत में पंचनिरपेक्षता का अर्थ सकारात्मक है जहाँ सर्व धर्म सभाव का विचार भी स्वीकार किया जाता है।

राज्य के द्वारा पंच की गतिविधियों में हस्तक्षेप

- लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के आधार पर राज्य पंच के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है तथा पंच से जुड़ी हुई लौकिक गतिविधियों में भी राज्य के हस्तक्षेप होंगे। लेकिन राज्य के हस्तक्षेप कि सीमा तक होने चाहिए इसके लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा पंच के मूलभूत लक्षण और गौण लक्षणों का विभाजन किया गया है।

मूल लक्षण पंच की मूल मान्यता अथवा मूल विश्वास है, जबकि पटाखे फोड़ना लाउड स्पीकर बजाना, पशुबाले करना पंच के गौण लक्षण हैं जिस पर राज्य के द्वारा प्रतिबंध आरोपित किये जायेंगे।

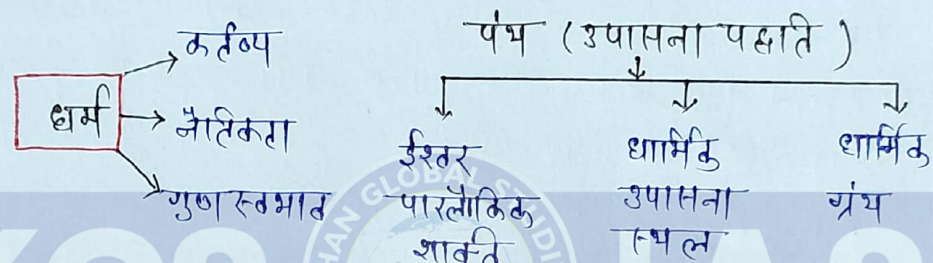
धार्मिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता :

- संविधान में न तो धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान दिया गया है और न तो इस पर किसी प्रकार के प्रतिबंध हैं।
- उड़ीसा भारत का पहला राज्य है जिसके द्वारा धर्मनिरपेक्षता को प्रतिबंधित करने के लिए विधि का निर्माण किया गया और इसके अनुसार निम्नलिखित तीन आचार्यों को प्रमुख (i) बल माना गया है।
(ii) ब्रह्म
(iii) कपट

इस आधिनियम के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया

जिसमें न्यायालय ने कहा कि धर्मांतरण धार्मिक प्रचार के आधिनियम में शामिल नहीं है और उपरोक्त तीन आधारों पर धर्मांतरण पण्डनीय अपराध होगा।

- धर्मांतरण को लोक व्यवस्था के कारण सीमित किया जा सकता है।

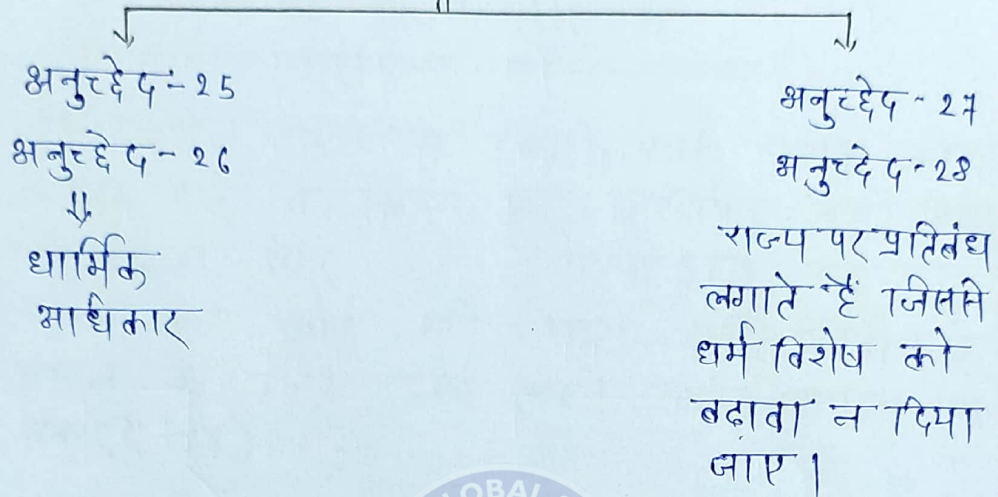


सांस्कृतिक पंथ निरपेक्षता

- इस मुद्दे पर मतभेद विद्यमान है कि पंथनिरपेक्षता राज्य और पंथ के बीच अलग है अथवा संस्कृति और राज्य के बीच अलग है।
- संस्कृति और राज्य के बीच अलग को ही सांस्कृतिक पंथनिरपेक्षता कहते हैं।
- भारत में इस संबंध में पहला मत यह है कि राज्य के द्वारा हिन्दू संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि हिन्दू उपासना पद्धति नहीं है अपितु संस्कृति है।

- जबकि आलोचक मानते हैं कि हिन्दू संस्कृति के नाम पर बहुमतवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विरुद्ध है।

आधिकार



धार्मिक संस्थानों के संबंध का अधिकार

- अनुच्छेद-25 व्याप्ति को दिये गये अधिकार हैं जबकि अनुच्छेद-26 में धार्मिक संस्थानों को या समूहों को भी अधिकार दिया गया है और उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी धार्मिक समूह की निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए।

- (i) साक्षी पहचान
- (ii) समान सिद्धांत
- (iii) एक जैसे धार्मिक विश्वास और मान्यताएँ
- (iv) अनुच्छेद-26 पर भी अनुच्छेद 25 के प्रतिबंध लागू होते हैं।

- (v) सभी धार्मिक समूहों को प्रबंधित संपत्ति के अर्जन और प्रशासन का अधिकार है जो विधि के द्वारा होना चाहिए।

राज्य पर आरोपित प्रतिबंध

- पंथ निरपेक्ष राज्य में किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए कर आरोपित नहीं किया जा सकता और राज्य द्वारा कर या टैक्स का कोई भी भाग धर्म विशेष के उत्थान के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। (अनुच्छेद-24)

- राज्य के द्वारा धार्मिक शिक्षा देने पर भी प्रतिबंध है लेकिन अनुच्छेद-28 के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की शैक्षणिक संस्थानों का उल्लेख किया गया है।

(a) पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाएँ जैसे - केन्द्रीय विश्व विद्यालय, नगोदय विद्यालय जिसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा संभव नहीं है।

(b) लेकिन किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।

(c) ऐसी शैक्षणिक संस्थानों को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं जिनमें छात्रों की सहमति से ही धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और यदि

क्षेत्र भल्पव्यस्तु है तो अभिभावकों से सहमति लेना आवश्यक है।

